**भारत सरकार**
**ग्रामीण विकास मंत्रालय**
**ग्रामीण विकास विभाग**

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 3798**
**(12 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)**

**पीएमजीएसवाई के अंतर्गत निधियों का आवंटन**

**3798. श्री एम. मल्लेश बाबू :**

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि कर्नाटक राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों को पूर्ण कवरेज प्रदान करने की सूचना दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या मंत्रालय ने इन दावों का स्वतंत्र रूप से सत्यापन किया है, विशेषकर कोलार जैसे पिछड़े और सीमावर्ती जिलों में, जहां कई बस्तियों में अभी भी बारहमासी सड़क संपर्क का अभाव है, और
(ग) क्या सरकार का कर्नाटक में ऐसी कवर न की गई या अविकसित ग्रामीण सड़कों के लिए पीएमजीएसवाई के अंतर्गत केंद्रीय निधियों का आवंटन जारी रखने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा नए प्रस्ताव पर विचार करने की क्या प्रक्रिया है?

**उत्तर**
**ग्रामीण विकास राज्य मंत्री**
**(श्री कमलेश पासवान)**

(क) से (ख) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)-I को वर्ष 2000 में मैदानी क्षेत्रों में 500+, पूर्वोत्तर राज्यों, पहाड़ी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और अन्य विशेष क्षेत्रों में 250+ आबादी वाले सड़क संपर्करहित बसावटों को बारहमासी सड़क संपर्कता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। देश में 50,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों के सुदृढ़ीकरण के लिए पीएमजीएसवाई II को वर्ष 2013 में शुरू किया गया था। पीएमजीएसवाई III को स्कूलों, अस्पतालों और ग्रामीण कृषि बाजारों तक बेहतर कनेक्टिविटी के लिए प्रमुख ग्रामीण संपर्क और थ्रु रुट्स के उन्नयन के लिए वर्ष 2019 में आरंभ किया गया था। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) के सड़क संपर्क घटक को भी पीएमजीएसवाई के एक घटक के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है, ताकि पात्र सड़क संपर्करहित विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) बसावटों को सड़क संपर्कता प्रदान की जा सके।

कर्नाटक राज्य ने पीएमजीएसवाई-I और II के अंतर्गत सभी परियोजनाएं पहले ही पूरी कर ली हैं। पीएमजीएसवाई-III के अंतर्गत, कुल स्वीकृत सड़क लंबाई 5,603.48 किलोमीटर में से, 5,396.50 किलोमीटर लंबाई राज्य द्वारा 07.08.2025 की स्थिति के अनुसार पूरी कर ली गई है और 89.89 किलोमीटर सड़क लंबाई निष्पादन के विभिन्न चरणों में है। कार्यकलाप/घटक-वार विवरण नीचे दिया गया है:-

(लंबाई किमी में)

| घटक | स्वीकृत लंबाई | पूर्ण सड़क लंबाई | शेष सड़क लंबाई * |
|---|---|---|---|
| **पीएमजीएसवाई-I** | 16,359.3 | 16,357.1 | - |
| **पीएमजीएसवाई-II** | 2,241.17 | 2,218.16 | - |
| **पीएमजीएसवाई-III** | 5,603.48 | 5,396.50 | 89.89 |
| **पीएम-जनमन** | 63.76 | - | 63.76 |
| **कुल** | **24,267.71** | **23,971.76** | **153.64*** |

** शेष सड़क की लंबाई स्वीकृत और पूर्ण लंबाई के अंतर से कम है, क्योंकि कुछ परियोजनाएं सड़क की लंबाई में कमी, मार्ग संरेखण में परिवर्तन, अन्य एजेंसियों द्वारा आंशिक लंबाई का निर्माण आदि के कारण स्वीकृत लंबाई की तुलना में कम में पूरी हो गईं।*

कोलार जिले में पीएमजीएसवाई के विभिन्न कार्यकलापों के तहत कुल 839 किलोमीटर सड़क लंबाई को स्वीकृत/उन्नयन किया गया था, जिसे राज्य द्वारा पहले ही पूरा कर लिया गया है। कर्नाटक राज्य में पीएमजीएसवाई के अंतर्गत कुल 296 बसावटों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया था, जिन्हें पहले ही बारहमासी सड़क संपर्कता प्रदान की जा चुकी है। जिला-वार विवरण कार्यक्रम की वेबसाइट www.omms.nic.in ->Progress Monitoring ->State profile ->Habitation Coverage Report पर देखा जा सकता है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक पीएमजीएसवाई-IV के कार्यान्वयन को अनुमोदित किया है, ताकि देश में 2011 की जनगणना के अनुसार मैदानी इलाकों में 500+, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, विशेष श्रेणी के क्षेत्रों (जनजातीय अनुसूची V, आकांक्षी जिले/ब्लॉक, रेगिस्तानी क्षेत्र) 250+ और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में 100+ आबादी वाली पात्र 25,000 सड़क संपर्करहित बसावटों को सड़क संपर्कता प्रदान की जा सके। पीएमजीएसवाई-

IV के अंतर्गत संपर्क रहित बसावटों की प्रारंभिक पहचान के लिए बसावट सर्वेक्षण कर्नाटक सहित सभी राज्यों में पूरा हो चुका है।

पीएमजीएसवाई IV दिशानिर्देशों के अनुसार, सड़क संपर्करहित बसावटों के लिए नई सड़क संपर्कता के प्रस्ताव जिला पंचायत द्वारा अनुमोदित किये जाते है, जिसमें माननीय संसद सदस्यों से प्राप्त सुझावों के साथ-साथ कार्यक्रम दिशानिर्देशों पर भी विचार किया जाता है। अनुमोदित व्यापक नई सड़क संपर्कता प्राथमिकता सूची के अनुसार प्रस्तावों को राज्य स्तरीय स्थायी समिति (एसएलएससी) के समक्ष रखा जाता है, जो केन्द्र सरकार को मंजूरी के लिए विचार हेतु बसावटों की सिफारिश करती है। पीएमजीएसवाई IV के तहत 08-08-2025 की स्थिति के अनुसार मंजूरी देने के लिए कर्नाटक की राज्य स्तरीय स्थायी समिति का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) जी हाँ, पीएमजीएसवाई के कार्यान्वयन के लिए राज्य को निधियों का आवंटन/जारी करना, अन्य के साथ-साथ, राज्यों के पास चल रहे कार्यों, पिछली जारी निधि से अव्ययित शेष राशि और पिछली व्यय प्रवृत्तियों पर निर्भर करता है। पीएमजीएसवाई के तहत राज्य को 2025-26 के दौरान केंद्रीय अंश के रूप में 50 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

***